

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on page No.30-31

Dated 5-1-80

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(कृषि तथा सहकारिता विभाग)

शुद्धि-पत्र

दई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1979

का० आ० 36.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 6 जनवरी, 1979 में, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 13, तारीख 19 दिसम्बर, 1978 की तालिका में,—

(1) स्तंभ (1) में,—

- “बंगाली चना” के स्थान पर “चना” पढ़ें ;
- “काला चना” के स्थान पर “उरद” पढ़ें ;
- “लाल मिर्च” के स्थान पर “शिमला मिर्च” पढ़ें ;
- “रण्ड” के स्थान पर “अरण्डी” पढ़ें ;
- “ज्वार” के स्थान पर “भवार” पढ़ें ;
- “तिल” के स्थान पर “अलसी” पढ़ें ;
- “लसुनघास” के स्थान पर “लुसुनघास” पढ़ें ;
- “रेडग्राम” के स्थान पर “अरहर” पढ़ें ;
- “सोधम” के स्थान पर “ज्वार” पढ़ें ;

(2) स्तंभ (2) में,—

- “एम एम एच-104” के स्थान पर “एम बी एच-104” पढ़ें ;
- “नगसुजना” के स्थान पर “नगार्जुन” पढ़ें ;
- “ओरिम्सन ग्लोब” के स्थान पर “क्रिमसन ग्लोब” पढ़ें ;
- “सी ओ-02” के स्थान पर “सी ओ 2” पढ़ें ;
- “सी ओ-03” के स्थान पर “सी ओ 3” पढ़ें ;
- “चाइनीज गियन्ट” के स्थान पर “चाइनीज जायन्ट” पढ़ें ;
- “अगैता गौरा-3” के स्थान पर “अगैता भ्वारा-3” पढ़ें ;
- “एफ एम-277” के स्थान पर “एफ एस-277” पढ़ें ;
- “बी-777” के स्थान पर “एच-777” पढ़ें ;
- “सी ओ-02 (वेजीटेबल-कमप्रेन परपज)” के स्थान पर “सी ओ 2. (सब्जी तथा दाने हेतु)” पढ़ें ;
- “रशियन गियन्ट” के स्थान पर “रशियन जायन्ट” पढ़ें ;
- “लोबिया के अन्तर्गत “टाईप-5269” के नीचे “(पूसा सावनी)” का लोप कर दें ;
- “बी एल-1” के स्थान पर “एम एल-1” पढ़ें ;
- “सिरसर-3” के स्थान पर “सिरसा-8” पढ़ें ;
- “अलजेरियन” के स्थान पर “अल्जेरियन” पढ़ें ;
- “भारतीय” के स्थान पर “भारती” पढ़ें ;
- “सी ओ-37 (भगवती)” के स्थान पर “सी ओ-37 (वेगई)” पढ़ें ;
- “जय” के स्थान पर “जया” पढ़ें ;
- “कोठा/मालागोलकूल-72” के स्थान पर “कोठा मालागोलकूल-72” पढ़ें ;
- “कोठा/मालागोलकूल-74” के स्थान पर “कोठा मालागोलकूल-74” पढ़ें ;

“मसुरी” (उत्तर प्रदेश के संबंध में) के स्थान पर “मसुरी” पढ़ें ;

“पालमान” के स्थान पर “पलमन” पढ़ें ;

“डोजी वारफ” के स्थान पर “डेजी डुवार्फ” पढ़ें ;

“अनीमेरी-1” के स्थान पर “एनीजीर-1” पढ़ें ;

“आर टी-1” के स्थान पर “एच टी-1” पढ़ें ;

“एम एस डी एम-9” के स्थान पर “एस डी एम-9” पढ़ें ;

“पारा-दोविक (ई सी-684/4)” के स्थान पर “पारा दोविक (ईसी-68414)” पढ़ें ;

“(सुधरी तारामीरा चयनक)” के स्थान पर “(सुधरी तारा-मीरा चयनक-ए)” पढ़ें ;

“सब से बढ़िया” के स्थान पर “बैस्ट आफ आल” पढ़ें ;

“शलेजा” के स्थान पर “शैलजा” पढ़ें ;

(3) स्तंभ (3) में,—

(क) स्तंभ 2 में “धान” से संबंधित प्रविष्टि “सीता” के सामने “उत्तर प्रदेश” के स्थान पर “बिहार” पढ़ें । स्तंभ 2 में धान से संबंधित प्रविष्टि “कास-116” के नीचे प्रविष्टि “गिजा-14” के सामने “जम्मू और कश्मीर” जोड़िए ।

स्तंभ 2 में “टिडा” से संबंधित प्रविष्टि, “पंजाब टिडा: (एस-48)” के सामने “तमिलनाडु” शब्द का लोप कर दें ;

स्तंभ 2 में “गेहूं” से संबंधित प्रविष्टि “सोनालिका (एस 308)” के सामने “जम्मू कश्मीर” के बाद, “मेघालय” जोड़िए ।

(4) स्तंभ 2 और 3 में,—

(क) स्तंभ 2 में, “ज्वार” से संबंधित प्रविष्टियों के नीचे, “माऊ टाइप-2” जोड़िए और उसके सामने स्तंभ 3 में, “उत्तर प्रदेश” जोड़िए ;

(ख) स्तंभ 2 में “प्याज” से संबंधित प्रविष्टि, “पंजाब-48” और “पूसा रेड” के बीच में “पूसा रतनार” तथा स्तंभ 3 में उसके सामने, “जम्मू और कश्मीर” जोड़िए,

(ग) स्तंभ 2 में “धान” से संबंधित प्रविष्टि “चाइना 972” और “चाइना-1007” के बीच में, “चाइना-988” जोड़िए और उसके सामने स्तंभ 3 में “जम्मू और कश्मीर” जोड़िए ;

(घ) स्तंभ 2 में “धान” से संबंधित प्रविष्टि, “सी० ओ०-37 (भगवती)” और “सी ओ-39” के बीच “सी ओ-38 (भगवती)” जोड़िए और उसके सामने स्तंभ 3 में, “तमिलनाडु” जोड़िए ;

(ङ) स्तंभ 2 में, “गेहूं” से संबंधित प्रविष्टियों के अंत में, “एन आई-5749” जोड़िए और उसके सामने स्तंभ 3 में, “महाराष्ट्र” जोड़िए ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

[सं० 7-33/78-एस० डी०]

डी० आर० भूभवाला, कृषि आयुक्त

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 1979

S.O. 36.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) No. S.O. 13, dated the 19th December, 1978, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th January 1979, in the Table,—

(i) in column (1),—

(a) for "Ridged Gourd" read "Ridge Gourd";

(b) the word "Samai" shall be omitted; and before CO.2 for Tamil Nadu, the word "Samai", shall be inserted ;

(ii) in column (2), —

(a) under item Bajra, for "MSH-104", read "MBH-104" ;

(b) under item Cowpea, under "Type-5269", the brackets and words "(Pusa Sawni)", shall be omitted ;

(c) under item Wheat, for "Sonalika (S-308\*", read "Sonalika (S-308)" ;

(iii) in column (3),—under item paddy, against item 'sita', for "Uttar Pradesh" read "Bihar" ;

[No. 7-33/78-SD]

D. R. BHUMBLA, Agriculture Commissioner.